



कोष
उत्तराखण्ड
- 2 JAN 2012
निर्वाचन क्षेत्र
कोड सं. 09

UTTARAKHAND

11AA 872592

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्रारूप-26

(नियम 4 क देखिए)

राजपुर निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं संजीव कुमार पुत्र श्री रविन्द सिंह आयु 29 वर्ष, जो तपोवन एन्कलेव
आमवाला तरला, पो0ओ0 रायपुर जिला देहरादून, उत्तराखण्ड का निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:-

मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए
हैं। शुद्ध / लाभू नही

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी): - लागू नहीं



Sanjay Kumar

.2.

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....शुभ.....
- (ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला या जिले.....राज्य.....
.....शुभ.....
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....शुभ.....
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचनाक की गई.
.....शुभ.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे.....
.....शुभ.....
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.....शुभ.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है। नहीं
- (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....शुभ.....
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....शुभ.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....
.....शुभ.....
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....शुभ.....



Shumar

.3.

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....

..... 21/12

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....

..... 21/12

स्थान: देहरादून
तारीख:- 21/12

B. Kumar
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 21/12 को सत्यापित किया।



11953/12
ATTESTED
21/12
(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Collectorate Court Compound
Dehra Dun

B. Kumar
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर